इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2026—श्रावण 1, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2026

क्र. 7038—126—इक्कीस—अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
NO. 6 OF 2026
THE BHARTIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA (MADHYA PRADESH SANSHODHAN) VIDHYEAK, 2026

A Bill to amend the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy seventh year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1.(1) This Act may be called the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita (Madhya Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2026.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Amendment of Central Act No. 46 of 2023 its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023) shall, in its application to the State of Madhya Pradesh, be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Section 359.

3. In sub-section (2) of Section 359 of the principal Act, in the table below,- (i) in column 1, 2 and 3, after Section 82 (1) and entries relating thereto, the following Section and entries relating thereto shall be inserted, namely :-

1	2	3
"Husband or relative of Husband of a woman subjecting her to cruelty.	85	The woman subjected to cruelty: Provided that a minimum period of six months shall have elapsed from the date of registration of First Information Report and the court, if satisfied that the compounding is in the interest of that woman, may accept the application.";

(ii) in column 1, 2 and 3. after Section 135 and entries relating thereto, the following sections and entries relating thereto shall be inserted, namely :-

1	2	3
"Rioting	191(2)	The person against whom the force or violence is used at the time of committing the offence: Provided that the accused is not charged with other offence, which is not compoundable.
Obscene acts or use of obscene words.	296	The person to whose annoyance Obscene acts were done or obscene words were used .".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas, the Central Government has enacted the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023), which has come in to force from 1st day of July, 2024. At present offences under Sections 85, 191 and 296 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (No. 45 of 2023) are not compoundable, leading to prolonged litigation and increased burden on the courts. It is felt necessary to make the offences under above sections compoundable, because prior to the enactment of Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023, the Criminal Law (Madhya Pradesh) Amendment Act, 2019 (No. 13 of 2022) had made certain petty offences compoundable under Section 320 of the Code of Criminal Procedure, 1973, facilitating amicable settlements and reducing judicial backlog, subject to the condition, that accused is not charged with other offences which is not compoundable with the permission of the Court. This shall give relief to the litigants and shall also help in reducing the number of pending cases in various courts.

2. It is, therefore, considered suitable to amend Section 359 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, in its application to the State of Madhya Pradesh.

3. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated The 18th July, 2026.

GOUTAM TETWAL
MEMBER-IN-CHARGE.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202] भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जुलाई 2026—आषाढ़ 29, शक 1948

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2026

क्र. 12579—मप्रविस—16—विधान—2026.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबन्धों के पालन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई 2026 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०२६

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०२६

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२६ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, २०२३ का संख्यांक ४६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (२०२३ का संख्यांक ४६) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ३५९ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३५९ की उपधारा (२) में, नीचे सारणी में,- (एक) कालम १,२ और ३ में, धारा ८२(१) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित धारा तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

१	२	३
"किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना.	८५	जिस स्त्री के साथ क्रूरता हुई: परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से न्यूनतम छह मास की कालावधि व्यपगत हो गई हो और न्यायालय का, यदि यह समाधान हो जाता है कि शमन उस महिला के हित में है, तो वह आवेदन स्वीकर कर सकेगा."

(दो) कालम १, २ और ३ में, धारा १३५ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

१	२	३
"बलवा.	१९१(२)	वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अपराध कारित करते समय बल या हिंसा का प्रयोग किया गया है: परन्तु अभियुक्त ऐसे अन्य अपराध के लिए आरोपित नहीं किया गया है, जो शमनीय नहीं है.
अश्लील कार्य या अश्लील शब्दों का प्रयोग.	२९६	वह व्यक्ति, जिसे क्षोभ कारित करने हेतु अश्लील कार्य किए गए थे या अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया था.".

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

यतः, केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (२०२३ का संख्यांक ४६) अधिनियमित की गई है, जो १ जुलाई, २०२४ से प्रवृत्त है. वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (२०२३ का संख्यांक ४५) की धारा ८५, १६१ और २६६ के अधीन अपराध शमनीय नहीं हैं, जिसका परिणाम लंबी मुकदमेबाजी तथा न्यायालयों पर बढ़ता भार है. उपरोक्त धाराओं के अधीन अपराधों को शमनीय बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता, २०२३ को अधिनियमित किए जाने से पूर्व, दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१६ (क्रमांक १३ सन् २०२२) द्वारा सौहार्दपूर्ण समझौतों को सुकर बनाने तथा न्यायिक कार्य के भार को कम करने हेतु, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए, कि अभियुक्त ऐसे अन्य अपराधों का आरोपी नहीं हो जो न्यायालय की अनुज्ञा से शमनीय नहीं हैं, कतिपय छोटे अपराधों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, १६७३ की धारा ३२० के अधीन शमनीय बनाया गया था. यह मुवक्किलों को सहायता प्रदान करेगा और विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की संख्या को कम करने में भी सहायक होगा.

२. अतएव, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ की धारा ३५६ का, इसके मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, संशोधन किया जाना, यथोचित समझा गया है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

गौतम टेटवाल
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख : १८ जुलाई २०२६.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.